न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./87/18/भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 01–12–2007 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 25–4–2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 01–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 10–10–2006 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आप श्री मदनलाल बलाई पटवारी दिनांक 23–7–2005 से 5–7–2006 तक पटवार मण्डल संतोकपुरा के पद पर कार्यरत थे। उक्त कालावधि के दौरान आपने प.म. संतोकपुरा के ग्राम स्टेशन नगर के नामान्तरकरण संख्या 380 व 392 को निर्णय अधिकारी से निर्णय करने हेतु प्रस्तुत नहीं किये जबकि उक्त नामान्तरकरणों पर किसी प्रकार कोई स्थगन आदेश नहीं है। जैसा कि अभिकथनोंके विवरण पत्र संख्या 1 में अंकित है। आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही का प्रतीक है।

आरोप संख्या–दो

यह है कि उपर्युक्त कालावधि के दौरान तथा उपर्युक्त पटवार मण्डल में कार्य करते समय आप श्री मदनलाल बलाई पटवारी ने पटवार मण्डल संतोकपुरा के ग्राम गुढ़ा के

नामान्तरकरण संख्या 487, 502, 506, 512, 513 ग्राम स्टेशन नगर नामान्तरकरण संख्या 389, 394 व 441 ग्राम मालीखेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 250 व 260 तथा ग्राम कीरखेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 159 को भू–अभिलेख निरीक्षक के आक्षेप के बावजूद आक्षेपों का निस्तारण नहीं कर निर्णित करवा दिये जो गंभीर अनियमितता है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या 2 में अंकित है।

आरोप संख्या–तीन

यह है कि उपर्युक्त कालावधि के दौरान तथा उपर्युक्त पटवार मण्डल में कार्य करते समय आप श्री मदनलाल बलाई पटवारी ने पटवार मण्डल संतोकपुरा के ग्राम स्टेशन नगर, गुढ़ा, मालीखेड़ा एवं कीरखेड़ा में दर्ज किये गये एवं निर्णित नामान्तरकरणों का इन्द्राज रजिस्टर पी–21(ए) में नहीं कर गंभीर अनियमितता की है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या 3 में अंकित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 09–01–2007 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर लगाये गये आरोपों पर असहमति जताई। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने नियम 16 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31–7–2007 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को पेश कर दी। जांच अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने अपने जांच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 1 व 2 पूर्ण रूपेण गलत व तीसरे आरोप जांच में कर्मचारी की आंशिक गलती होते हुए भी आरोप में गंभीर दोष सिद्ध होना नहीं पाया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के जांच प्रतिवेदन दिनांक 31–7–2007 में अपचारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोषी नहीं माना फिर भी आदेश दिनांक 01–12–2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित कर अपीलान्ट को केवल आरोप संख्या 3 में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 01–12–2007 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने आदेश से अपीलार्थी की एक वेतनवृद्धि असंचयी

प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित किया गया है जो न्याय नियम एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अवलोकन नहीं किया और बिना विधिक नियमों का ध्यान रखे विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक अधिकारी ने तीन आरोप अधिरोपित किये थे जिसमें से आरोप संख्या 1 व 2 तो प्रमाणित ही नहीं हुए है और आरोप संख्या 3 जो प्रमाणित माना है वो सरासर गलत है क्योंकि जब नामान्तरकरण निर्णित करने में ही कोई अनियमितता नहीं पायी गई तो नामान्तरकरण जांच रजिस्टर पी–21 ए का कोई महत्व नहीं रहता है। नामान्तरकरण जांच पंजिका पी 21 ए के लिए केवल पटवारी ही दोषी नहीं होता है इसमें भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार भी बराबर के दोषी है यदि इसमें पटवारी अकेले को ही दोषी माना जाता है तो विधिसम्मत नहीं है। श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवा़ा द्वारा अपीलार्थी को दिया गया दण्ड बहुत अधिक है जिसके कारण अपीलाथी को अपूर्णीय क्षति हुई है।

उनका यह भी कथन है कि जांच अधिकारी के समक्ष विभागीय पैरोकार द्वारा जांच में तीनों आरोपों से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिसकी जांच में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं माना गया है।

उनका यह भी कथन है कि विभागीय पैरोकार की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जिससे अपीलार्थी पर लगाये गये तीनों आरोप सिद्ध नहीं होते है। इसलिए उक्त दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने भी सीसीए नियम 16 (9) के प्रावधानों के अनुसार आरोपों को प्रमाणित करने का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। इसलिए जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा टिप्पणी प्रेषित कर उल्लखित किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 1–12–2007 के अन्तर्गत अपचारी पटवारी द्वारा पटवार मण्डल संतोकपुरा के ग्राम स्टेशननगर, गुढ़ा, मालीखेड़ा एवं कीरखेड़ा में दर्ज किये गये एवं निर्णित नामान्तरकरणों का इन्द्राज पी–21(ए) में नहीं कर गंभीर अनियमितता करने के एवं जांच अधिकारी द्वारा आरोप में वर्णित तथ्य जांच में प्रमाणित होने के फलस्वरूप अपचारी कर्मचारी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया गया जो नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित था। अपीलार्थी ने अपने बयान में आरोप संख्या 3 के संबंध में रजिस्टर पी–21 ए में नामान्तरकरणों को कार्यवाही अंकन नहीं करने के संबंध में अपचारी ने अपने प्रतिउत्तर में अकाल राहत कार्य के निरीक्षण एवं भुगतान का अत्यधिक कार्य होना

बताया जाकर आरोप को कार्यवाही के प्रतिउत्तर में स्वीकार किया है उक्त कथन अस्वीकार है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी संतोकपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के फलस्वरूप जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा सीसीए 16 के तहत कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 1–12–2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन की पालना नहीं की जाने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिया गया दण्ड नियमानुसार सही है। अत अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके आदेश क्रमांक भू.अ./विजा/प्र.स.09/06 दिनांक 01–12–2007 द्वारा श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध आदेश पारित कर अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उक्त आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जांच अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा द्वारा कथन किया कि पूर्व में कार्यरत पटवारियों द्वारा नामान्तरकरणों को दर्ज नहीं करने के कारण अपीलार्थी द्वारा भी दर्ज नहीं किया गया । वर्ष 2003 से ही इन्द्राज पी–21 में नहीं हुए थे। यह आरोप गंभीर आरोप की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि अपचारी कर्मचारी ने अवगत कराया कि इससे पूर्व तीन पटवारी कार्यरत थे उनको भी यह कार्य पूर्ण करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उक्त समय अकाल राहत कार्य अधिक होने के कारण पी–21 रजिस्टर पूर्ण नहीं किया जा सका। राजकार्य में सरकार की योजनाओं एवं अन्य कार्य को अतिमहत्व दिया जाना आवश्यक होता है अपचारी कर्मचारी द्वारा अकाल राहत कार्यो में व्यस्त रहने के कारण निर्णित नामान्तरकरणों का इन्द्राज रजिस्टर पी0 21 (ए) में नहीं किया जा सका इससे किसी व्यक्ति विशेष को एवं राज्य सरकार को कोई हानि होना प्रतीत नहीं होता है। श्री मदन

लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा द्वारा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा, अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी पटवारी पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा की रिपोर्ट में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि निर्णित नामान्तरकरणों को अपीलार्थी द्वारा पी–21 ए में दर्ज नहीं करने के कारण किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ मिला हो या किसी या सरकार को किसी प्रकार की हानि हुई हो। जबकि जांच अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने भी अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 31–7–2007 में अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को गंभीर नहीं माना है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को तथा अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर दण्डादेश दिनांक 01–12–2007 पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक भू.अ./विजा/प्र.स.09/06 दिनांक 01–12–2007 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर